तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
16/09/25	~~वादी वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जिला कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इजलास होकर पेशी 08/10/2025 को पेश हो।~~	
17/11/25	वादी वकील उपस्थित। वादी के वाद एवं संलग्न दस्तावेज तथा लिखित बहस का गहनता से अवलोकन बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में आज्ञप्ति डिक्री जारी करने एवं निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आज्ञप्ति डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वादी के वाद के मुताबिक मौजा सेवानियाली, पटवार हल्का सेवानियाली तहसील बायतु जिला बालोतरा में स्थित खसरा नम्बर 262 रकबा 16.2043 हैक्टेयर में से 15.17 बीघा (2.5645) हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 से 9 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खुले न्यायालय में सुनाया गया। फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड नम्बर से ... दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी— श्री कल्पित शिवरान (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या— 208/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दौलाराम पुत्र जोगाराम 2. भारूराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा		1. उदाराम पुत्र मालाराम 2. बालाराम पुत्र मालाराम 3. भूराराम पुत्र मालाराम 4. वीरमाराम पुत्र मालाराम 5. रुपाराम पुत्र जीवाराम 6. मूलाराम पुत्र धुड़ाराम 7. मेहाराम पुत्र धुड़ाराम 8. रुगाराम पुत्र धुड़ाराम 9. रतनी पत्नी धुड़ाराम जाट, निवासी सेवनियाला तहसील बायतु, जिला बालोतरा 10. तहसीलदार बायतु जिला बालोतर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

—: निर्णय :—

दिनांकः 17/11/25

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण का विधिवत पंजीबद्व विक्रय पत्र के जरिये खरीदसुदा व कब्जे काश्त की भूमि मौजा सेवनियाला, पटवार हल्का सेवनियाला, तहसील बायतु, जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 16.2043 हैक्टेयर में से 15.17 बीघा का आया हुआ हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता व पति धुड़ाराम से निश्चित भू—भाग का जरिये पंजीबद्व बेचान दिनांक 18.07.2016 को प्रतिफल राशि 2,00,000/— रुपये अदा कर खरीद की गई जिसका उप पंजीयक कार्यालय बायतु में दिनांक 18.07.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 71 में पृष्ठ संख्या 75 कम संख्या 201603084100791 पर पंजरबद्व करवाया गया था। तत्पश्चात उक्त बेचान पत्र प्रति हल्का पटवारी को दी गई लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया [illegible] बाद बेचानकर्ता धुड़ाराम जीवाराम का देहान्त होने पर उनकी फौतगी का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। वादी द्वारा पुनः हल्का पटवारी व तहसीलदार से मिलने पर उन्होने उक्त बेचान का नामान्तरकरण दर्ज करने से मना कर दिया गया। जिस हेतु वादीगण द्वारा उक्त बेचान नामा के अनुसार अपना हिस्सा खातेदारी अधिकारों में घोषित करवाने हेतु यह वाद श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बावजूद सुचना प्रतिवादी स्वंय या उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध दिनांक 05.08.2024 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रुप में वादी संख्या 2 भारुराम पुत्र जोगाराम का शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में हनुमानराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सेवनियाला का शपथ पत्र PW-2, पेश किये गये। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने वाद के समर्थन में EXP-1 चालु जमाबंदी सवत् 2076–79 खाता संख्या 75, EXP-2 रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज, पेश किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस व लिखित बहस सुनी व पढी गई पत्रावली व पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये उक्त बेचान पत्र का आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद नहीं होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सेवनियाला, पटवार हल्का सेवनियाला, तहसील बायतु, जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 16.2043 हैक्टेयर में से 15.17 बीघा (2.5645 हैक्टेयर) भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है कि मौजा सेवनियाला, पटवार हल्का सेवनियाला, तहसील बायतु, जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 16.2043 हैक्टेयर में से 15.17 बीघा (2.5645 हैक्टेयर) भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैसल सुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (राज.) बायतु
सत्यमेव जयते

(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पिठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दौलाराम पुत्र जोगाराम 2. भारूराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा		1. उदाराम पुत्र मालाराम 2. बालाराम पुत्र मालाराम 3. भूराराम पुत्र मालाराम 4. वीरमाराम पुत्र मालाराम 5. रुपाराम पुत्र जीवाराम 6. मूलाराम पुत्र धुड़ाराम 7. मेहाराम पुत्र धुड़ाराम 8. रुगाराम पुत्र धुड़ाराम 9. रतनी पत्नी धुड़ाराम जाट, निवासी सेवनियाला तहसील बायतु, जिला बालोतरा 10. तहसीलदार बायतु जिला बालोतरा।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :—208 / 2023 — दिनांकः 17/11/25

वादीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...17/11/25... को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री भागीरथ राम, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि —

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सेवनियाला, पटवार हल्का सेवनियाला, तहसील बायतु, जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 16.2043 हैक्टेयर में से 15.17 बीघा (2.5645 हैक्टेयर) भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चावाद पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

यह आज तारीख ...17/11/25... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Kalpit

(कल्पित शिवरान)

सहायक कलक्टर (एसडीओ),बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला - बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 10:01:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Kalpit

उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला - बालोतरा